राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग, जयपुर

जयपुर दिनांक : - 6 JAN 2016

क्रमांक प. 3(50)नविवि / 3 / 2012पार्ट

परिपत्र

विषय:- राजकीय भूमियों के नियमन के संबंध में।

े राज्य में नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों को नियमित करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने विनांक 17.06.1999 को राजस्थान विधियों (संशोधन) अध्यादेश जारी कर राजस्थान के राजस्थान किये थे और साथ ही राजस्थान कारतकारी राजस्य अधिनियम,1956 में धारा 90-बी के नये प्रायधान किये थे और साथ ही राजस्थान कारतकारी अधिनियम,1955, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम,1982, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम,1959 एवं भी तत्संबंधी संशोधन किये थे। विनांक 02.05.2012 को पुनः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम,1959 में भी तत्संबंधी संशोधन किये थे। विनांक 02.05.2012 को पुनः संशोधन कर धारा 90-बी की विलोपित करते हुये धारा 90-ए में नये प्रावधान जोड़े गये और अन्य संशोधन कर धारा 90-बी की विलोपित करते हुये धारा 90-ए में नये प्रावधान जोड़े गये और अन्य संशोधन कर धारा 90-बी की विलोपित करते हुये धारा 90-ए में नये प्रावधान के संबंध में विभिन्न निर्यो में भी तत्संबंधी संशोधन किये गये। उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा निर्यो में भी तत्संबंधी संशोधन किये गये। उक्त विधिक प्रावधानों के नियमन के संबंध में विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि पर दिनांक 17.06.1999 तक बसी कॉलोनियों के नियमन के संबंध में विभिन्न आदेश / परिपन्न समय पर जारी किये गये।

- श्रीत कई आवासीय कॉलोनियां अवाप्त भूमि, अवाप्ताधीन भूमि या सरकारी भूमि पर पूर्णतः या अशतः बस युक्ति, अतः ऐसी भूमियों के नियमन के लिये भी मापवण्ड एवं पृथक नियमन वरें अशतः बस युक्ति, अतः ऐसी भूमियों के नियमन के लिये भी मापवण्ड एवं पृथक नियमन वरें समय पर विभिन्न परिपत्रों / आदेशों से तय की गई। इन परिपत्रों / आदेशों में खातेवारी समय समय पर विभिन्न परिपत्रों / आदेशों से तय की गई। इन परिपत्रों ता स्वायचक, चरागाह एवं अन्य भूमियों के साथ-साथ राजकीय भूमियों (जिनमें अवाप्तशुदा, सिवायचक, चरागाह एवं अन्य राजकीय भूमि शामिल हैं) पर भी आवासीय / वाणिज्यिक उपयोग एवं कॉलोनियों के नियमन राजकीय भूमि शामिल हैं। इस एरिपत्र के आगामी पैराओं में जिन आदेशों एवं परिपत्रों का संदर्भ सबंधी निर्देश समाहित है। इस एरिपत्र के आगामी पैराओं में जिन आदेशों एवं परिपत्रों का संदर्भ दिया गया है, अन्ते हालांकि निजी खातेदारी तथा राजकीय, दोनों ही प्रकार की भूमियों, पर नियमन संबंधी निर्देश शामिल है लेकिन इनमें से केवल राजकीय/अवाप्तशुदा/अवाप्ताधीन मूमियों के नियमन संबंधी बिन्दुओं को ही इस परिपट में वर्णित किया जा रहा है।
 - विनांक 17.06.1999 तक बसी कॉलोनियों के नियमन की प्रक्रिया के तहत् सर्वप्रथम जारी आदेश कमांक प. 5(3)नदिवि/3/99 दिनोंक 10.7.1999 के अनुसार ऐसी भूमियाँ, जो किसी भी अर्जन अधिनियम के तहत् अवादा की जाकर अंतिम रूप से नगरीय निकाय (यानि प्राधिकरण, न्यास अधवा नगरपालिका संस्था जैसी भी स्थिति हो) में निहित हो चुकी है या अन्य राजकीय मूमि अथवा नगरपालिका संस्था जैसी भी स्थिति हो) में निहित हो चुकी है या अन्य राजकीय मूमि जिन पर मौके पर गृह निर्माण सहकारी समिति के आवंटन पत्र या ऐसी किसी समिति के पिएस्य अथवा अन्य व्यक्ति से पंजीकृत/अपंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा खरीद कर या अन्य किसी परास्य अथवा अन्य व्यक्ति से पंजीकृत/अपंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा खरीद कर या अन्य किसी परास्य से अतिक्रमण कर गैर—कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग कर लिया गया है, का नियमन किया जा सकैगा।
 - आदेश क्रमांक प. 5(2)नविवि/3/99 पार्ट दिनांक 24.09.1999 के अनुसार जयपुर रीजन के लिये नियमन दरों के निर्मारण बाबत भूमियों को तीन श्रेणियों में रखा गया। प्रथम श्रेणी में लिये नियमन दरों के निर्मारण बाबत भूमियों को तीन श्रेणियों में रखा गया। प्रथम श्रेणी में अल्सर विधिक स्वामित एवं इकारारनामें के आधार पर क्रय की गई भूमि, द्वितीय श्रेणी में अल्सर अधिनियम के तहत भूमि, अवापशुदा भूमि (जिसका मुआवजा नहीं दिया गया हो), भूमि स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम, 1963 एवं भूमि सीलिंग अधिनियम, 1973 के तहत स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम, 1963 एवं भूमि सीलिंग अधिनियम, 1973 के तहत स्थानीय निकाय में निहित होने वाली भूमि को रखा गया था और तृतीय श्रेणी में राजकीय भूमि (सिवायचक, चरागाह, अवाप्त भूमि, जिसका मुआवजा दिया जा चुका है, एवं अन्य राजकीय भूमि) को रखा गया। तीनों श्रेणियों की नियमन दर्श पृथक—पृथक रखी गयी।

आदेश क्रमांक प. 5(2)नविवि/3/99 पार्ट दिनांक 27.09.1999 के द्वारा उक्त आदेश दिनांक 24.09.1999 में संशोधन करते हुये भूमियों की तीन के बजाय केवल दो श्रेणी रखी गई जिसमें

****5.

दिनांक 24.09.1999 के आदेश में वर्णित प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी को मिलाकर एक ही श्रेणी

0

0

0

0

0

0

0

()

0

0

0

0

0

0

0

- परिपत्र क्रमांक प.3(28)नविवि / 3 / 98 दिनांक 22.12.1999 के अनुसार यदि किसी योजना में 6. नगरीय निकाय की एवं राजस्थान आवासन मण्डल की ऐसी अवाप्तशुदा मूमि, जिसका मुआवजा वास्तविक रूप से खातेदार को दिया जा चुका हो अथवा भूमि अवाप्ति अधिकारी/स्वायालय में जमा करवाया जा चुका हो, को राजकीय भूमि की श्रेणी में माना जावेगा, परन्तु नियमन राजस्थान आवासन मण्डल संबंधित नगरीय निकाय की सहमति पर ही होगा। किसी संगिति के मानिषत्र क्षेत्र में सम्मिलित राजकीय भूमि, अवाप्तशुदा (मुआवजा भुगतान की गई) भूगि अथवा खातेवार से हुये इकारारनामे के खसरों से अधिक क्षेत्रफल की भूमि को राजकीय भूमि मानते हुये ऐसी मूर्मि की नियमन दर की गणना के संबंध में भी दिशा निर्देश दिये गये थे। निय्नांकित श्रेणी की भूमियाँ पर नियमन/आवंटन की कार्यवाही का निवेध भी किया गया :-
 - भूमि जो मंदिर माफी, देवस्थान विभाग या सार्वजनिक द्रस्ट या किसी धार्मिक एवं वैरिटेबिल
 - भूमि जिसका प्रकरण राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम, 1963 अथवा राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत
 - भूमि जो रेल्वे बाउण्ड्री, राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्ग की निर्धारित सीमा एवं नदी, नाले अथवा (IV)
 - भूनि जो राजस्थान आयासन मण्डल, रीको की अवाप्तशुका है अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग या केन्द्र सरकार के अन्य किसी विभाग / उपक्रम के खाते में दर्ज हो;
 - नगरीय निकाय की अवाप्तशुदा भूमि जिसका मुआवजा भुगतान कर कब्जा लिया जा चुका है तथा वर्तमान में भी नगरीय निकाय का मौके पर कब्ज़ा है और भूमि रिक्त है।
- परिपन्न क्रमांक प. 5(3)नविवि/3/99 दिनांक 07.01.2000 के द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित 7. योजनाओं के मानवित्रों में शामिल क्रय की गई भूमि से अधिक क्षेत्रफल को राजकीय भूमि पाणणाजा प नागावता न सामिल क्रय का ग्रंथ गून च जावक वात्रक्रण का पणकान है। मानकर नियमन वर की गणना की प्रक्रिया बतायों गयी। यह भी बताया गया था कि सुविधा क्षेत्र मानकर ान्यलन वर का गुणना का भारत्या बताबा गुणा वर की की की साम बाती होगा। जिल्ला की की सामन शुल्क देय नहीं होगा। जिल्ला की अवाप्तशुद्धा एवं मुआवजा मुगतान की गई ऐसी भूमि जिस पर प्राधिकरण का मीके पर कब्जा है और भूमि रिक्त है एवं प्राधिकरण की खातेदारी में है उसमें नियमन नहीं किया जावे। परिपन्न में आगे यह भी बताया गया है कि जयपुर रीजन (अमुक क्षेत्रों को छोड़कर) में अवाप्तशुदा भूभि जिसका कब्जा लिया जा चुका है, परन्तु मुआवजे का भुगतान अवाडी/भूमि अवारित अधिकारी/न्यायालय को नहीं भेजा गया है और भूमि खातेदार के नाम ही अकित है, ऐसी अवाप्त भूमि से प्रभावित योजनाओं में धारा 90-बी के अन्तर्गत नियमम् की कार्यवाही की जावे।
- परिपन्न कर्नाक प.3(2)नविदि / 3 / 98 दिनाक 22.02.2000 के द्वारा विभिन्न स्तरी पर नियमितिकरण की सीना का निर्धारण किया गया और माउन्ट आबू उदयपुर एवं जयपुर के निवानासकरण का काना का विचारण विकास विचारण विकास के प्रकार हारा तथा पुष्कर, नाथहारा एवं जैसलमर के प्रकरण स्थानीय निकाय निर्देशाजद से अनुमोदन के पश्चात् निष्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये।
- आदेश क्रमांक प. 5 (3)नविवि/3/99 दिनांक 09.03.2000 के द्वारा भूस्वाभियों की सम्पदा अर्जन 9. अधिनियम, 1963 एवं कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम, 1973 से प्रभावित भूमियों को राजकीय मानते हुए नियमन/आवंटन की कार्यवाही के निर्देश दिये गये। अल्सर अधिनियम, 1978 विलोपित हो हुए नियमन/आवटन का कायवाहा का गवशादय गया अल्सर आधानयन, १४/४ विलाभित का जाने के कारण इससे प्रभावित भूमियों के नियम के निर्मेष विये गये तथा बेरी आयोग से प्रभावित योजनाओं में, भूषाण्डामारी से यह अण्डरटेकिंग ली जाकर कि भूमि राजकीय घोषित होने पर तद्नुतार अतिरिक्त नियमन राशि धुका दी जायेगी, भूमि को खातेदारी भूमि मानकर नियमन

- 10. आदेश क्रमांक प. 8 (8)निविवि/3/99 विनाक 09.03.2000 के अनुसार ऐसे प्रकारण जिनमें सिवायसक, अवादाशुवा भूमि तथा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर किये गये निर्माणों को राजकीय भूमि मानकर नियमन करने के निर्देश दिये गये। नगरीय निकाय की अवादाधीन पर निर्माण नहीं हुआ है, यहां संबंधित निकाय द्वारा तुरन्त कब्जा लेना चाहिए और यदि निर्माण किया गया कि सार्वजनिक सड़क पर किये गये निर्माण को किसी भी स्थित में नियमित नहीं किया जावे बल्कि ध्वस्त किया जावे।
- 11 परिपन्न क्रमांक प. **5(8)नविवि/3/99** दिनांक 26.05.2000 के बारा पूर्व परिपन्न दिनांक 27.09.1999, दिनांक 22.12.1999, दिनांक 04.12.1999, दिनांक 22.02.2000 एवं 09.03.2000 में संशोधन करते हुये राजकीय भूमियों के नियमन के संबंध में निम्नांकित निर्देश दिये गये :--
 - (i) राजकीय भूम (सिवायचक, गैर-मुमिकन रास्ता, चरागाह एवं सभी प्रकार की राजकीय भूमि) का नियमन उस क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत दर की राशि लेकर किया
 - (॥) जिनमें अवाित की कार्यवाही पूर्ण हो गई है तथा अवार्ड राशि का चैक खातेदार / न्यायालय को जमा करवा दिया गरग है तो ऐसे अकरणों में राजकीय भूमि मानकर नियमन किया जा किया गया, उनमें सामान्य नियमन दर लागू होगी।
 - (॥) नगरीय निकाय की योजना में अवार्ड जारी होने के उपरान्त खातेदार द्वारा अवैध रूप से भूखण्ड बेच दिये गये तथा जिन पर निर्माण नहीं हुआ हो ऐसे भूखण्डों के नियमन के लिये संबंधित नगरीय निकाय द्वारा निर्णय लिया जायेगा। सामान्यतौर पर ऐसे प्रकरणों में भूमि संभव नहीं हो तो ऐसे भूखण्डों का नियमन किया जा सकता है।
 - (iv) नगरीय निकाय की योजनाएं जिनमें भूमि अवाप्ताधीन है तथा अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई हो, उनके नियमन का निर्णय लेने पर सामान्य नियमन दर वसूल की जावे।
 - (v) योजना क्षेत्रों में जहां निर्माण हो चुके हैं, और मध्य में कहीं-कहीं रिक्त भूखण्ड स्थित हैं, जनको क्षेत्र की वर्तमान स्थितियों के दृष्टिगत आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमन संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। जो भूखण्ड मौके पर रिक्त है परन्तु अन्य प्रयोजनार्थ जैसे निकाय हारा निर्णय लिया जाकर अन्यत्र समीपीय क्षेत्र में नियमित/समायोजित किया जाकरा। नियमित किये जाने वाले भूखण्डों पर राजकीय भूमि की नियमन दर ली जावेगी।
 - (vi) अवाप्ताधीन भूमि, जिसके संबंध में न्यायालय में वाद दावर किये हुए है, के प्रकरणों में भूमि की दर के आधार पर नियमन किया जा सकता है।
- 12 परिपत्र क्रमांक प. 3(8)नविवि/3/2001 दिनांक 12.07.2001 के द्वारा परिपत्र दिनांक 12.07.2001 के द्वारा परिपत्र दिनांक नाम दर्ज हो चुकी हो उसे राजकीय भूमि माना जारोगा. नाहें मुआवजे का भुगतान किया गया हो 13. आदेश क्रमांक प्राप्त परिपत्र परिपत्र के
- 13. आदेश क्रमांक प.5 (3)नविवि / 99 पार्ट दिनांक 11.01.2002 के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को दिये गये निर्देशों में आवासीय कॉलानियों हो नियनन हेतु सामान्य पैरामीटर्स तय किये गये किय गये।

 किय गये।

14. परिपत्र क्रमांक प. 5(8) निविवि/3/99 दिनांक 16.02.2002 के द्वारा परिपत्र दिनांक 26.05.2000 के तुछ बिन्दुओं पर संशोधन कर निर्देश दिये गये कि नगरीय निकायों द्वारा अवाप्तशुद्रा अथवा अवाप्ताधीन भूमि में नियमन का निर्णय स्थानीय स्तर पर नहीं लिया जावे बहिक उनके बारा नियमन प्रस्ताब लेकर राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर ही नियमन किया जावे, किन्तु यहि पह भी स्पष्ट किया गया नि जिन अवाप्ताधीन भूमियों पर नगरीय निकायों के द्वारा काणी समय पर राज्य सरकार खातेदार या भूमिधारक की प्रार्थना पर गुण—दोष देखते हुए नियमन का आदेश राजकीय भूमि भी शामिल है तो 2 बीधा तक राजकीय भूमि का नियमन नगरीय निकाय कर सकेंगे और 2 बीधा से अधिक राजकीय भूमि होने पर राज्य सरकार की स्थीकृति लेनी होगी।

0

0

0

0

0

0

()

0

15. परिपत्र क्रमांक प. 5(3)निवि / 3 / 99 दिनांक 01.04.2002 के द्वारा बताया गया कि किसी योजना में यदि समिति / खातेदार के स्वामित्व के क्षेत्र के अतिरिक्त भूमि आती है, जो राजस्व है तो ऐसी अतिरिक्त भूमि को नियमन दर की गणना हेतु राजकीय भूमि नहीं माना जावे। जिनका राजकीय भूमि (गैर मुमिकन रास्ते, सिवायचक चारागाह आदि) पर बने होना प्रमाणित है तो उस अतिरिक्त भूमि को राजकीय गानते हुए तदनुसार नियमन राशि की गणना की जावे।

16. आदेश क्रमांक प. 5(3)निविव /3 /99 पार्ट दिमांक 08.07.2002 के अनुसार जिन आवासीय योजनाओं में 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो गये है किन्तु सुविधा क्षेत्र के लिये निर्धारित हुये नगर्।य निकायों को आवासीय क्षेत्र एवं सुविधा क्षेत्र के लिये निर्धारित हुये नगर्।य निकायों को आवासीय क्षेत्र एवं सुविधा क्षेत्र के लिये निर्धारित पैरामीटर्स में 5 प्रतिशत शिथिलन करने का अधिकार दिया गया।

17. परिपत्र क्रमांक प. 5(3)निविव /3 /99 दिनांक 04.10.2002 (दिनांक 08.10.2003 को यथा संशोधित) के द्वारा अवाप्तशुदा / अवाप्ताधीन भूमि के नियमन संबंधी बिन्दुओं पर परिपत्र दिनांक 26.05.2000 में आंशिक संशोधन करते हुए नगरीय निकायों / आवासन मण्डल, रीको एवं अन्य संस्थाओं द्वारा अविग्रहित भूमियों पर बसी कॉलोनियों (जयपुर रीजन के अमुक क्षेत्रों को छोड़ते लिये जाकर नियमन करने के निर्देश दिये गये।

(अ) भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में पेपर पजेशन ले लिया गया परन्तु नुआवजा राशि का भुगतान खातदार को नहीं किया गया तथा ना ही न्यायालय में जमा कराया गया हो।

(ब) दिनांक 17.08.99 से पूर्व भू-अधिग्रहण के ऐसे प्रकरण जिनमें पेपर पजेशन लिया गया हो।
मुआवजा सक्ति न्यायालय में जमा करा दी गई मगर खातेदार को भुगतान नहीं हुआ हो।

(स) अधिग्रहित भूमि राजस्य रिकॉर्ड में नगरीय निकाय के नाम दर्ज है परन्तु निकाय द्वारा न तो कब्जा लिया गया और न ही मुआवजा भुगतान खातेदार/न्यायालय में किया गया है।

उक्त आदेश दिनांक 04.10.2002 के द्वारा गैर खातेदारी की भूमियों के नियमन के लिये भी खातेदारी भूमियों के समान दरें लागू करने के निर्देश दिये गये।

18. परिपत्र क्रमांक प. 8(3)निवि/3/99 धिर्माक 08.09.2007 के द्वारा लम्धे समय से बसी हुई आवासीय कॉलोनियों के नियमन हेतु आधाशोय तथा सुगिधा क्षेत्र के पैरामीटर्स में 75:25 अनुपात राज्य सरकार की अनुमति ली जायेगी। 70 प्रतिशत तक आवासीय क्षेत्रफल होने पर योजनाओं/कॉलोनियों के नियमन का निर्णय स्थानीय स्तर पर किया जायेगा। जिन योजनाओं/कॉलोनियों में दिनांक 22.10.1999 से पूर्व 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो चुका है फीट, हितीय श्रेणी की नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में 25 फीट तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की

नगरपालिका क्षेत्रों में 20 फीट आवश्यक रूप से रखी जावे। यह भी निर्देश दिये ग्ये कि जिन गृह निर्माण समितियां/कॉलोनाईजर्स द्वारा बदनियति से राजकीय भूमि एवं सुविधा क्षेत्र पर पर्टे काट दिसे गये है जनके विरूद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित नगरीय निकाय द्वारा दर्ज

- परिपत्र क्रमांक प. 6(30)निव/3/2007 दिनांक 16.10.2007 के द्वारा यह निर्देश विधे गर्थ कि 19. ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें अवाप्त भूमि अध्या राजकीय भूमि के नियम का प्रस्ताव हो. नगरीय निकास में निर्णय लिया जाकर पूर्ण विवरण के साथ राज्य सरकार में मंत्रीनण्डलीय उपसामिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित किये जायेगें। 20,
- परिपन्न क्रमांक प. 6(30)नविवि/3/07 दिनांक 02.11.2007 के द्वारा परिपन्न दिनांक 16.10.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए अवाप्त भूमि/राजकीय भूमि के नियमन के समस्त पस्ताव राज्य सरकार को गिनित करने के बजाय कुछ प्रकरणों को स्थानीय निकःयों के स्तर पर ही निर्णीत करने के लिये शक्तियाँ दी गई जिसके अनुसार प्रति योजना / कॉलोनी जविष्रा को 10 दीया भूगि तक, नगर विकास चासों को 5 बीघा भूमि तक एवं अन्य स्थानीय निकायों को 2 बीघा भूमि तक राजकीय मुनि के नियमन करने की शक्तियाँ दी गई। यह भी निवेश दिये गये कि यदि संबंधित क्षेत्र में निर्माण 50 प्रतिशत से अधिक भूमि पर हो चुका है तो अवाप्ताधीन/अवाप्त भूमि के नियमन बाबत् नगरीय निकाय अपने स्तर पर नियमन हेतु अधिकृत होगें, लेकिन इसरों कम निर्माण की स्थिति में प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा और मंत्रीगण की उप
- परिपत्र क्रमांक प. 5(3)निविवि/3/99 दिनांक 02.11.2007 के द्वारा परिपत्र दिनांक 06.09.2007 में संशोधन करते हुये कॉलोनियों में 22.10.1999 से पूर्व 50 प्रतिशत से अधिक निर्माणों के साक्ष्यस्वरूप बिजली एवं पानी के बिलों के अतिरिक्त 7 प्रकार के अन्य दस्तावेज भी मान्य किये
- आवेश क्रमांक प. 3(60)नविवि/3/2012 दिनांक 21.09.2012 के द्वारा पूर्व में जारी परिपन्न क्रमांक प. **5(2)नविवि/3/99** पार्ट दिनांक 27.09.99, परिपत्र क्रमांक प. 5(8)नविवि/3/99 पार्ट दिनांक 26.05.2001 तथा परिपत्र क्रमांक प.5(3)नविवि/3/99 पार्ट दिनांक 04.10.2002 को संशोधित करते हुये राजकीय भूमि (सिवायचक, अवाप्तशुदा भूमि एवं अन्य राजकीय भूमि) के त्रियमन के लिये देय दर्श का नये सिरे से निर्धारण किया गया जिसका विवरण पैरा 25(5) पर आगे दिया जा रहा है। पूर्व परिपत्रों के संशोधन में यह भी निर्देश दिये गये कि गैर खातेबारी एवं चसगाह भूति का नियमन अथवा आवंटन नहीं होगा। उक्त आदेश दिनांक 21.09.12 में अवापाशुदा भूमियों में निम्नःकित भूमियों को भी शामिल माना गया:—
 - भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में जहां पेपर पर्णेशन लिया जा चुका है परन्तु मुआवजा राशि का भुगतान खातेदार/न्यायालय को नहीं किया गया,
 - दिनांक 17.06.1999 से पूर्व भूमि अधिग्रहण के ऐसे प्रकरण जिनमें पेपर पजेशन ले लिया गया एवं मुआवजा राशि न्यायालय में जमा है किन्तु खातेदार को भुगतान नहीं हुआ तथा
 - अधिग्रहित भूमि नगरीय निकाय के नाम दर्ण हो गयी है परन्तु नगरीय निकाय द्वारा न तो कब्जा लिया गया और न ही अवार्ड राशि का भुगतान खातेदार / न्यायालय में किया गया।
- परिपत्र क्रमांक प. 3(64)नविवि/3/2011 पार्ट दिनोक 27.11.2012 के द्वारा गृह निर्माण सहकारी 23. समितियों की दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की आवासीय योजनाओं में निजी खातेदारी भूमि के साथ-साथ राजकीय भूमि (गैर मुमकिन रास्ते, सिवायचक) या अवाप्तशुदा भूमि सिमिलित होने के मामलों में राजकीय भूमि की नियमन राशि को निर्जा खातेदारी भूमे की सामान्य प्रीमियन राशि में जोड़कर और उसे सेलेविल एरिया से विभाजित किया जाकर प्रति वर्गगज नियमन राशि की गणना करने एवं सुविधा क्षेत्र के लिये नियमन शुल्क वेय नहीं होने बाबत मार्गवर्शन जारी किया गया। इसी परिपंत्र में यह भी स्पष्ट किया किया कि जो भूखण्ड खातेदारी भूखण्ड पर है जनसे खातेचारी भूमि की प्रीमियम राशि और जो भूखण्ड राजकीय भूमि पर स्थित है उनसे

24. समय समय पर प्रशासन शहरों के रांग अभियानों के दौरान भी राजकीय भूमियों/अवाप्तशुदा भूमियों के नियमन हेतु निर्धारित मापदण्डों एवं नियमन की दरों में विभिन्न शिथिलताएँ दी गई थी, जो अभियान की अवधि पूर्ण होने के साथ ही अब प्रभाव में नहीं रही है। 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 28. इस प्रकार उपरोक्त विवरण से साब्द है कि राजकीय/अवाप्तश्रुवा भूमियों के नियमन बाबत् मापदण्डों एवं नियमन शुल्क के संबंध में बार बार संशोधन किये गये हैं और अवाप्तश्रुदा या अवाप्ताधीन भूमियों में से किन किन प्रकार की भूमियों को राजकीय भूमि के समकक्ष दरों पर किन किन स्थितियों में ियमन किया जा सकता है, आदि बिन्दुओं पर संशोधन किये जाते रहे हैं, जिससे कई बार अन की स्थिति भी उत्पन्न होती है। राजकीय/अवाप्तश्रुवा भूमि के नियमन राजकीय/अवाप्तश्रुवा भूमि के नियमन राजकीय/अवाप्तश्रुवा/अवाप्ताधीन भूमि पर आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग के नियमन से सबद्धित बिन्दुओं पर जपर वर्णित समस्त परिपत्रों/आदेशों में दिये गये निर्देशों को संकलित/संशोधित करते हुये दिनांक 17.06.1999 तक राजकीय भूमियों पर किये गये अवाप्ताधीय/वाणिज्यिक उपयोग के नियमन हेतु नये सिरे से निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैं:—
 - (1) नियमन की दृष्टि से राजकीय भूमि में निम्नांकित श्रेणियों की भूमियाँ शामिल मानी जायेगी:--

(1) राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सिवायचक भूमियाँ;

- (III) इस उप पैश के बिन्दु संख्या (vii) की अनुपालना के पश्चात अवाप्तशुदा भूमि जो नगरीय निकाय के नाम दर्ज है, जिसका कब्जा नगरीय निकाय द्वारा लिया जा चुका है और जिसका मुगतान संबंधित खातेदार/न्यायालय में किया जा चुका है;
- (III) इस उप पैरा के बिन्दू संख्या (vii) की अनुपालना के प्रशात जिन प्रकरणों में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाकर पेपर पजेशन ले लिया गया है, परन्तु मुआवजा राशि का भुगतान संबंधित खातेदार को नहीं किया गया है और ना ही न्यायाहम ने
- (IV) विनांक 17.06.1999 से पूर्व भू—अधिग्रहण के ऐसे प्रकरण जिनमें भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाकर खातेदार से पेपर पजेशन लिया गया एवं मुआवजा राशि न्यायालय में जमा है किन्तु संबंधित खातेदार को भुगतान नहीं हुआ है;
- (v) भू—अधिग्रहण की कार्यवाही करने के आधार पर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नगरीय निकास के नाम दर्ज हो गयी हो, परन्तु इस भूमि का नगरीय निकाय द्वारा न तो कब्जा लिया गया है और ना ही अवार्ड राशि का भुगतान खातेदार को या न्यायालय में किया गया
- (2) निम्मांकित श्रेणी की भूमियों का नियमन नहीं किया जा सकेगा :--
 - (I) ऐसी मूमि जो मंदिर माफी, देवस्थान विभाग या सार्वजनिक दुस्ट या किसी धार्मिक एवं चैरिटेबिल संस्थान अथवा वक्फ की है;
 - (॥) ऐसी भूमि जिसका प्रकरण अल्सर अधिनियम, 1976; राजस्थान भूमि सुभार एवं भू-स्वामियों की सम्पना अर्जन अधिनियम, 1963; अथवा राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सोमा अधिकेपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत लिखत है;
 - (III) जो भूमि रेह्वे बाउण्ड्री, राष्ट्रीय/राज्य उच्च मार्ग की निर्धारित सीमा एवं नदी, नाले अथवा अन्य किसी बहाव अथवा डूब क्षेत्र अथवा जलीय निकाय (Water Body) में आती
 - (w) जो भूमि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी कानून के अन्तर्गत आयासीय/व्यवसायिक आदि गतिविधियों के लिये प्रतिबंधित की हुई हो;

- (v) जो भूमि राजस्थान आवारान मण्डल, रीको की अवाप्तशुदा है अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग या केन्द्र सरकार के किसी विभाग/उपक्रम के खाते में दर्ज हो;
- (vi) नगरीय निकाय की ऐसी अवाप्तशुदा भूमि जिसका मुआवजा भुगतान कर कब्जा लिया जा चुका है, वर्तमान में भी नगरीय निकाय का मौके पर कब्जा है और भूमि रिक्त है;
- (vii) गैप-खातेवारी को भूमि एवं चरागाह भूमि; तथा
- (viii) ऐसी भूमि जो माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा अब्दुल रहमान प्रकरण में पारित आदेश, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपालिसिंह प्रकरण में या जयपुर नगर निगम बनाम लेखाराज सोनी प्रकरण में पारित आदेश तथा माननीय उच्च न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य प्रकरणों में समान प्रकृति के जारी निर्देशों के अन्तर्गत निषद्ध की हुई है।
- (3) राजकीय मृति पर बसी हुई आवासीय कॉलोनियों अथवा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजनाओं से लगती हुई या उनके मध्य आयी हुयी राजकीय भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन हेतु अपेक्षित मापदण्ड निम्न प्रकार रहेगें :--
 - (I) संबंधित राजकीय भूमि एर आवासीय कॉलोनी/योजना का दिनांक 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में होने का प्रमाण आवश्यक है। इसके लिये नगरीय निकायों में अब तक प्राप्त रिकॉर्ड को आधार गाना जा सकता है।
 - (III) इस किन्दु के उप पैरा (vii) की अनुपालना के परचात नियमन केवल आवासीय अथवा वाणिज्यिक उपयोग होने की स्थिति में ही किया जा सकेगा। नियमन केवल वास्तविक उपयोग में आने वाले क्षेत्रफल का ही किया जा सकेगा। बाड़ लगाकर या कबाड़/मलबा आदि डालकर कब्जा कर लेने मात्र से ही नियमन का आधार नहीं माना जावे।
 - (III) इस बिन्दु के उप पैरा (vii) की अनुपालना के पश्चात भूमि का जो वास्तविक उपयोग किया जा रहा है उसी उपयोग के प्रयोजन हेतु नियमन किया जा सकता है।
 - (Iv) नगरीय निकाय की योजना में अवार्ड जारी होने के उपरान्त खातेदार द्वारा अवैध रूप से भूखण्ड काटकर येच दिये गये हो तथा उन पर निर्माण नहीं हुआ हो, ऐसे मूखण्डों की भूमि का संबंधित नगरीय निकाय द्वारा तुरन्त कब्जा प्राप्त कर योजना की क्रियान्विति करनी चाहिये। लेकिन यदि मौके पर नगरीय निकाय ने कब्जा नहीं लिया है और मौके की विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसे भूखण्डों पर योजना की क्रियान्वित संभव नहीं हो तो उन भूखण्डों को राजकीय मूमि मानकर नियमन किया जा सकता है।
 - (v) नगरीय निकाय की अयाप्ताधीन योजना में अयार्ड जारी होने के उपरान्त खातेदार क्षारा यदि अवैध रूप से भूखण्ड वेच दिये गये हैं और उन पर निर्माण हो चुके हैं तो राजकीय भूमि पर निर्माण मानकर नियमित किया जा सकता है। योजना में सुविधा किया जाते बल्कि ध्यस्त किया जाते बल्कि ध्यस्त किया जाते।
 - (भा) योजना क्षेत्रों में जहां निर्माण हो चुके हैं, और मध्य में कहीं—कहीं भूखण्ड रिक्त है, वहां क्षेत्र की वर्तमान स्थितियों के दृष्टिगत उनके आयासीय/वाणिष्यिक प्रयोजनार्थ नियनन की कार्यवाही की जा सकेगी। जो भूखण्ड मौके पर रिक्त है परन्तु अन्य प्रयोजनार्थ जैसे ऐड़, सार्वजनिक सुविधाओं के लिये योजना प्लान में अंकित है, उनको नगरीय निकाय द्वारा समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये निर्णय लिया जाकर अन्यत्र समीपीय क्षेत्र में नियमित/समायोजित कियो जा सकता है। ऐसे नियमित/समायोजित कियो जाने वाले भूखण्ड पर राजकीय भूमि की नियमन दर ली जावेगी।

(vii) अवाप्ताधीन भूमि, जिसके संबंध में न्याय।लय में वाद दायर किये हुए है, के प्रकरणों में संबंधित पक्षकार द्वारा वाद वापस लिये जाने पर राजकीय भूमि की दर के आधार पर नियमन किया जा सकता है।

()

- (viii) अनुक्रोय उपयोग :- नियमन हेतु भूमि का अनुक्रोय उपयोग में दर्शित होना आवस्यक है यदि भू-उपयोग भिन्न दर्शाया हुआ है तो नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही के उपरान्त ही नियमन की कार्यवाही की जा सकती है।
- (ix) ले-आऊट के सामन्य पैरामीटर्स :- सामान्यतया कॉलोनियों में अधिकृतम आवासीय केत्रफल 60 प्रतिशत एवं सुविधा केत्र (सडक सिंहत) न्यूनतम 40 प्रतिशत होना चाहिये और आवासीय केत्र में से अधिकृतम 10 प्रतिशत (60 प्रतिशत का 10 प्रतिशत) व्यवसायिक प्रयोजनार्थ नियमित किया जा सकता है। आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई न्यूनतम 30 फीट होनी चाहिये। मास्टर प्लान एवं सैक्टर प्लान की सड़कों को समायोजित किया जावे। सम्पर्क सड़कों का भी प्रावधान रखा जावे।
- (x) सचन बसावट वाली पुरानी कॉ.नोनियों के लिये पैरामीटर्स :- जिन कॉलोनियों में दिनांक 22.10.1999 से पूर्व 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो चुका है जन आवासीय कॉलोनियों के नियमन हेतु आवासीय तथा सुविधा क्षेत्र के पैरामीटर्स में 75:25 का अनुपात खा जा सकता है लेकिन 70 से 78 प्रतिशत तक आवासीय क्षेत्रफल डोने पर राज्य संक्रार की अनुमति ली जायेगी। 70 प्रतिशत से कम आवासीय क्षेत्र वाली योजनाओं/कॉलोनियों के नियमन का निर्णय स्थानीय स्तर पर किया जायेगा। ऐसी सघन योजनाओं कॉलोनियों में आन्तरिक सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई नगर निगमों/ नगर परिषदों के क्षेत्रों में 30 फीट, द्वितीय श्रेणी की नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में 20 फीट आवश्यक रूप से रखी जावे।
- (प्रा) जिन योजनाओं / कॉलोनियों में दिनांक 22.10.1999 से पूर्व 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो चुका है जनमें निर्माण के साक्ष्य स्वरूप जो दस्तावेज माने जा सकते हैं, वे हैं— (a) बिजली / पानी का बिल, (b) पासपोर्ट, (c) ट्राईविंग लाईसेंस, (d) पैनकार्ड, (e) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / डाकघर / किसान पासबुक, (f) सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पद्टा, पंजीकृत, विलेख आदि, (g) पेंशन दस्तावेज जैसे— भूतपूर्व सैनिक पेंशन, मृतपूर्व सैनिक विद्या पेंशन, पेंशन अदायगी आदेश, आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विद्या पेंशन आदेश आदि, (h) स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र एवं (i) मतवाता सूची की प्रविद्यी।
- (xii) साईज :- नियमित किये जाने वाले भूखण्डों का क्षेत्रफल प्रस्तुत किये गये योजना मानचित्र के अनुसार और भूखण्डधारी द्वारा वास्तविक उपयोग के क्षेत्रफल के अनुसार होगा। सामान्यतया किसी भूखण्ड का 500 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का नियमन नहीं

(4) राजकीय भूमि के नियमन हेतु निर्णय का रतर :--

(i) सहकारी समिति की किसी योजना में यदि राजकीय भूमि भी शामिल है अथवा पूरी कॉलोनी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बसी हुयी है तो प्रति योजना/कॉलोनो विकास प्राधिकरणों को 2.50 हैंबरोयर भूमि तक, नगर विकास ज्यासों को 1.25 हैक्टेयर भूमि तक एवं अन्य स्थानीय निकायों को 0.50 हैक्टेयर भूमि तक राजकीय भूमि के नियमन करने की शक्तियाँ रहेगी।

- (II) यदि संबंधित क्षेत्र में निर्माण 50 प्रतिशत से अधिक भूमि पर हो चुका है तो अवाप्ताधीन/अवाप्ताशुवा भूमि के नियमन हेतु नगरीय निकाय अपने स्तर पर राज्य (I) में वर्णित सीमा तक अधिकृत होगें, लेकिन इससे कम निर्माण की स्थिति ने प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा भले ही राजकीय भूमि की सीमा राज्य (I) में वर्णित सीमा से कम हो। राज्य सरकार में ऐसे प्रकरणों में मंत्रीगण की दंप समिति अथवा मंत्रीमण्डल, जेसी भी स्थिति हो, के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।
- (III) ऐसी आवासीय योजनाओं / कॉलोनियों जिनमें दिनांक 22.10.1999 से पूर्व 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो चुका था और उनका आवासीय क्षेत्रफल 70 से 75 प्रतिशत तक दें तो नगरीय निकाय द्वारा ऐसे प्रत्येक प्रकरण में नियनन हेतु गुणावगुण के आधार पर साज्य सरकार के स्तार पर पुर्वानुमति प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव प्रेषित किये जायेगें।
- (iv) माउन्ट आबू, पुष्कर, नाथद्वारा जैसलमेर एवं अन्य कोई क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है तो ऐसे किसी क्षेत्र के नियमन के सभी मामले राज्य सरकार से पूर्वानुमति लेकर निष्तारित किये जायेगें।
- (v) किसी प्रकरण में निर्धारित मापदण्डों का शिथिलन, यदि नगरीय निकाय की राय में आवश्यक है तो तत्संबंधी प्रस्ताव के साथ पूर्ण औदित्य अवगत कणते हुये तथ्यों सहित राज्य सरकार को अनुमति हेतु प्रेषित किया जा सकता है। राज्य सरकार स्वप्रेरणा से भी किसी विन्दु पर शिथिलन संबंधी निर्देश दे सकेगी।
- (5) राजकीय सूमि की नियमन की दरें आदेश क्रमांक प. 3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 21.09.12 के अनुसार होगी। सुलभ संदर्भ के लिये ये वरें निम्न प्रकार उद्भृत की जा रही

화. सं0	नगरीय क्षेत्रों के नाम	आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन हुं देय दरें	79101119
1	द मिवाङी।	आवार्स:य आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 1500/- प्रति वर्गगज जो भी अधिक	25 प्रतिशत या 5000/- प्रति वर्गगज जो भी अधिक
2	जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमर, उदयपुर, बीकानेर	आवासीय आरक्षित वर का 25 प्रतिशत या 750/—	an all states of all
3	भिवाडी को छोडकर कम	1 20 MINKIN OF RUN / _	वागिज्यिक आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 1000/- प्रति वर्गगृज जो भी अधिक हो

स्पर्दाकरण 1: अवाप्त की जा चुकी भूमि पर नियमन के प्रकरणों में उपरोक्त तालिका के अनुसार प्रीमियम देय होगा, परन्तु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि देय प्रीमियम राशि भुगतान की गयी मुआयजा राशि से कम नहीं हो।

स्पष्टीकरण-2: 'जनसंख्या से तात्पर्य नवीनतम प्रकाशित जनसंख्या से है।

जत्त सारणी में वर्णित वरें दिनांक 31.03.2014 तक यथावत् रहेगी तत्पश्चात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैस को गतवर्ष की वरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (लप्ये के अगने गणीक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित वरें तानी जायेगी तथा समीता करें दिनांक 1 अप्रैस, 2017 से नयी दरें निर्धारित की जायेगी।

- (6) आवासीय कॉलोनी / योजना में राजकीय भूमि शामिल होने की स्थित में नियमन वर की गणना की प्रक्रिया:—
 - (i) गृह निर्माण सहकारी समितियों की दिनांक 17.08.1899 से पूर्व की जिन आवासीय योजनाओं में निजी खातेदारी भूमि के मध्य में या लगती हुई राजकीय मूमि था अवासाया भूमि सम्मिलित की हुई है, तो ऐसी स्थिति में बोनों प्रकार की मूमियों का मीक पर सीमाज्ञान करवाया जायेगा और खातेदारी भूमि पर स्थित मूखण्ड के लिये सामान्य प्रीमियम दर तथा राजकीय भूमि पर स्थित भूखण्ड के लिये राजकीय भूमि की नियमन दर वसूल की जायेगी।

परन्तु मौके की स्थिति के कारण सीमाज्ञान संभव नहीं हो तो ऐसी योजना के मानिक्षित्र में शामिल राजकीय भूमि के लिये राजकीय भूमि की नियमन राशि को खातेदारी भूमि के लिये देय सामान्य प्रीमियम राशि में जोड़कर कुल राशि के योग को सेलेबिल एरिया से विभाजित किया जाकर प्रति वर्गगज नियमन राशि की गणना की जायेगी।

- (II) राजकीय भूमि का जो अनुपात सुविधा क्षेत्र में गया है, उसकी कीमत वसून नहीं की जायेगी और इसी प्रकार निजी खातेदार की भूमि पर भी सुविधा क्षेत्र के लिए प्रीमियम शुल्क देय नहीं होगा।
- (iii) यदि स्पष्ट रूप से भूखण्ड राजकीय भूमि पर है या भूमि का स्वामित्व किसी खातेंदार का होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं होता है तो उस भूमि को राजकीय मानते हुए उपरोक्तानुसार नियमन राशि की गणना की जायेगी।
- (7) दिनांक 17.08.1999 के परचात् विकसित हुथी आवासीय कॉलोनियों में राजकीय भूनि पर किये गये कर्जों के नियमन या आवंटन के संजंध में :- ऐसे मामलों में प्रचलित टाऊनशिप पॉलिसी के अनुसार निर्धारित मापदण्डों एवं दरों के दृष्टिगत कार्यवाही की जायेगी।
- 28. इस परिपत्र के निर्देश एवं पैरा 25 के उप-पैरा (5) में वर्णित दरें जयपुर रीजन की लालकोठी योजना, जवाहर लाल नेहरू मार्ग के दोनों ओर की 200 फीट यौड़ी पदटी के भीतर एवं पृथ्यीराज नगर योजना के लिये प्रभावी नहीं होगी। इनके संबंध में पृथक आदेश जारी किये जाते.

अतः खप्रशेक्तानुसार कार्यवाही की जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से

()

()

(राजेम्ब सिंह शेखावत) संयुक्त शासन सविव हितीय स्पष्टीकरण-2: "जनसंख्या से तात्पर्य नवीनतम प्रकाशित जनसंख्या से है।

उक्त सारणी में वर्णित दरें दिनाक 31.03.2014 तक यथावत् रहेगी तत्परवात् प्रतिवर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गतवर्ष की दरों में 5 प्रतिशत वृद्धि करते हुये (रूपये के अगले गणांक तक) उस वर्ष के लिए प्रचलित दरें मानी जायेंगी तथा समीक्षा कर दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से नयी दरें निर्धारित की जायेगी।

- (a) आवासीय कॉलोनी / योजना में राजकीय भूमि शामिल होने की स्थित में नियमन वह की
 - गृह निर्माण सहकारी समितियों की दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की जिन आवासीय योजनाओं में निजी खातेदारी भूमि के मध्य में था लगती हुई राजकीय मूर्वि या अवाप्तशुदा भूमि सम्मिलित की हुई है, तो ऐसी स्थिति में दोनों प्रकार की मूनिसें का मौके पर सीमाज्ञान करवाया जायेगा और खातेदारी मूमि पर स्थित भूखण्ड के लिये सामान्य प्रीमियम दर तथा राजकीय भूमि पर स्थित भूखण्ड के लिये राजकीय भूमि की नियमन दर वसूल की जायेगी।

परन्तु मोके की स्थिति के कारण सीमाज्ञान संभव नहीं हो तो ऐसी योजना के मानचित्र में शामिल राजकीय भूमि के लिये राजकीय भूमि की नियमन राशि को खातेदारी भूमि के लिये देय सामान्य प्रीमियम राशि में जोड़कर कुल राशि के योग को सेलेबिल एरिया से विभाजित किया जाकर प्रति वर्गगज नियमन राशि की गणना

राजकीय भूमि का जो अनुपात सुविधा क्षेत्र में गया है, उसकी कीमत वसूल नहीं की जायेगी और इसी प्रकार निजी खातेदार की भूमि पर भी सुविधा क्षेत्र के लिए प्रीमियम शुल्क देय नहीं होगा।

- यदि स्पष्ट रूप से भूखण्ड राजकीय भूमि पर है या भूमि का स्वामित किसी खातेदार का होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं होता है तो उस भूमि को राजकीय मानते हुए उपरोक्तानुसार नियमन राशि की गणना की जायेगी।
- दिनांक 17.08.1999 के पश्चार विकसित हुयी आवासीय कॉलोनियों में राज्कीय भूमि पर किये गये कब्जों के नियमन या आवंटन के संबंध में :- ऐसे मामलों में प्रचलित टाऊनशिप पॉलिसी के अनुसार निर्धारित मापदण्डों एवं दरों के दृष्टिगत कार्यवाही की जायेगी।
- इस परिपन्न के निर्देश एवं पैरा 25 के उप-पैरा (5) में वर्णित दरें जयपुर रीजन की लालकोठी योजना, जवाहर लाल नेहरू मार्ग के दोनों ओर की 200 फीट चौड़ी पट्टी के भीतर एवं पृथ्वीराज नगर योजना के लिये प्रभादी नहीं होगी। इनके संबंध में पृथक आदेश जारी किये जाते.

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजेन्द्र शिव शेखावत) संयुक्त शासन सचिव-वितीय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवरयक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-सचिव (प्रथम), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर। विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, 2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन मण्डल विभाग, 3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। 4. संमागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान। 6. जिला कलेक्टर (समस्त) राजरथान। निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 7. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरी । विकास विभाग, जयपुर। 8. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग। 9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय 10. वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु। सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण / जोधपुर विकास प्राधिकरण / अजमेर विकास 11. प्राधिकरण। मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर ! 12. सदिव, नगर विकास न्यास (समस्त)। 13. 14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

0

0

0